सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर(सतर्कता) श्रीगंगानगर
पीठासीन अधिकारी : कमला अलारिया, आर0ए0एस0

अपील प्रकरण संख्या 84/2022

भजन लाल बनाम राज्य व सतनामसिंह वगैरा

प्रार्थना पत्र बाबत प्रारम्भिक एतराज दिनांक 25–5–22

उपस्थित

1. श्री जगमोहन आहूजा, एडवोकेट , अपीलार्थी की ओर से
2. श्री रमेशसिंह, अधिवक्ता, रेसपो0 सं0 3– 7

।। आदेश ।। दिनांकः 15–06–2022

रेस्पोडेन्टस के अधिवक्ता द्वारा दिनांक 25–5–22 को प्रारम्भिक एतराज का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कथन किया है कि हस्तगत अपील तहसीलदार, रायसिंहनगर द्वारा पारित इंतकाल सं0 271 दिनांक 27–2–22 के विरूद्व पेश की गई है। राजस्व मण्डल कें निर्णय दिनांक 2–2–22 द्वारा राजस्व अपील प्राधिकारी, श्री गंगानगर के निर्णय दिनांक 28–3–11 को यथावत् रखा गया है। अपीलाधीन इंतकाल तहसीलदार, रायसिंहनगर के आदेश कमांक भू0अ0/2963 दिनांक 25–2–22 की पालना में स्वीकृत किया गया है। अपीलांट द्वारा मूल आदेश दिनांक 25–2–22 के आदेश को किसी प्रकार से कोई चुनौति न देकर सीधा ही इंतकाल के खिलाफ अपील प्रस्तुत की गई है। जब तक मूल आदेश दिनांक 25–2–22 को चुनौति नहीं दी जाती है तब तक अपीलाधीन इंतकाल को चुनौति नहीं दी जा सकती है इसलिए यह अपील इसी स्तर पर खारिज होने योग्य है।

प्रारम्भिक एतराज के प्रार्थना पत्र का जवाब वकील अपीलांट द्वारा दिनांक 1–6–22 को प्रस्तुत कर कथन किया गया है कि तहसीलदार द्वारा जो आदेश दिनांक 25–2–22 को पारित किया गया है, उसकी पालना में इंतकाल सं0 271 दिनांक 27–2–22 को पारित किया गया है। एक ही विषयवस्तुत पर यदि किसी अधिकारी द्वारा कोई आदेश पारित किया जाता है तथा उसी विषयवस्तु पर अन्य आदेश पारित किया जाता है तो वह आदेश पूर्व के आदेश में मर्ज हो जाता है। प्रस्तुत मामले में भी तहसीलदार का आदेश दिनांक 25–2–22 दिनांक 27–2–22 में मर्ज हो गया है। अपील सही तौर पर प्रस्तुत की गई है। रेस्पोडेन्ट द्वारा गलत एतराज पेश किया गया है। प्रारम्भिक एतराज सव्यय खारिज फरमाया जावे।

प्रारम्भिक एतराज पर दोनों पक्षों की बहस सुनी गई। दोनों पक्षों ने अपने अपने समर्थन में प्रारम्भिक एतराज प्रार्थना पत्र एवं जवाब प्रारम्भिक एतराज प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को ही दोहराया है।

अतिरिक्त जिला कलेक्टर (सतर्कता)
श्रीगंगानगर

Scanned with CamScanner

उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली, का अवलोकन किया गया।

पत्रावली के अवलोकन से पाया गया कि जवाहरा राम पुत्र श्री नत्थूराम द्वारा तहसील क्षेत्र रायसिंहनगर के चक 60 एन पी के मु0 नं0 30 प0 नं0 226/358 की कुल 6.200 है0 यानि 24–10 बीघा नहरी भूमि की वसीयत अपने पुत्र अपीलांट भजन लाल के पक्ष में दिनांक 19–10–1992 को की गई है जो पंजीकृत है। पंजीकृत वसीयत के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 25–2–22 को आदेश पारित किया गया। उक्त आदेश के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन इंतकाल सं0 271 दिनांक 27–2–22 को स्वीकृत किया गया। अपीलांट द्वारा अपीलाधीन इंतकाल के विरूद्व हस्तगत अपील प्रस्तुत की गई है लेकिन मूल आदेश दिनांक 25–2–22 को सक्षम न्यायालय में चुनौति नहीं दी गई है।

हस्तगत अपील वकील अपीलांट द्वारा भू0 राजस्व अधिनियम की धारा 75 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है।

Section - 75(1) Scope of the Section -- This section deals with first appeals and is confined to **Original Orders** passed by the authorities mentioned in the Section. An appeal against interlocutory order is not maintainable under this Section.

उपर्युक्तानुसार अपीलांट द्वारा मूल आदेश दिनांक 25–2–22 के विरूद्व अपील प्रस्तुत न कर विधिक त्रुटि की गई है, जिसके कारण हस्तगत अपील पोषणीय न होने से खारिज किये जाने योग्य है।

अतः उपरोक्त समग्र विवेचन के परिणामस्वरूप, मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचती हूँ कि अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के मूल आदेश दिनांक 25–2–22 को चुनौति न देकर विधिक त्रुटि की गई है। अतः ऐसी स्थिति में, रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तुत प्रारम्भिक एतराज का प्रार्थना पत्र दिनांक 25–5–22 स्वीकार किया जाता है तथा मेरे विन्रम मत में हस्तगत अपील पोषणनीय न होने से खारिज की जाती है। दिनांक 27–4–22 को जारी एकपक्षीय स्थगन निरस्त किया जाता है।

आदेश आज दिनांक 15–06–2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कमला अलारिया)
अतिरिक्त जिला कलक्टर (सतर्कता)
श्रीगंगानगर